मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक/सी/3-1/94/3/एक   भोपाल/दिनांक 3 जनवरी 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समस्त कमिश्नर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
म0प्र0

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति चिकित्सा आधार पर नौकरी से सेवा निवृत्त होने पर पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान समाप्त किया जाना ।

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक/सी/3-4/94/एक दिनांक 10-6-94

-"--

कृपया विषयांतर्गत ज्ञापन का अवलोकन करें ।

1/ — संदर्भित ज्ञापन की कंडिका-10 में प्रावधान है कि चिकित्सा आधार पर शासकीय सेवक को अयोग्य ठहराये जाने पर हुई सेवा निवृत्ति के प्रकरणों में भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आश्रित परिवार के एक सदस्य को होगी । अब राज्य शासन के निर्णय के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा निवृत्त किये गये शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिये अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान समाप्त किया जाता है । अब चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्ति के प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आश्रित परिवार के सदस्य को नहीं होगी ।

2- अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में 10 जून 1994 को जारी ज्ञापन के बिन्दु क्रमांक 17 में मृत शासकीय सेवक की विधवा का कोई वयस्क पुत्र या पुत्री उसकी देखभाल करने के लिये न होने और स्वयं भी शासकीय सेवा करने के लिये सक्षम न होने पर उसके नजदीकी रिश्तेदार को अनुकम्पा नियुक्ति के लिये नामांकित करने की सुविधा दी गई है । उस संबंध में राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा देते समय व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाये और केवल विशिष्ट प्रकरणों में ही ऐसे नामांकन को मान्य किया जाए ।

4/ कई विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण बनते हैं और रिक्त स्थान उपलब्ध न होने से कठिनाई होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये निर्णय लिया गया है कि जिले के अन्तर्गत सभी विभागों में अनुकम्पा नियुक्तियों के योग्य रिक्त पदों की जानकारी

//2//

"परिशिष्ट"

अधिकृमित ज्ञापन

1. क्र0 3-13/73/3/1
   दिनांक 21-7-1973
2. क्र0 770/1002/1/3
   दिनांक 21-12-1973
3. क्र. 3-49/75/1/3
   दिनांक 10-12-1975
4. क्र. 483/2987/1/3/76
   दिनांक 4-12-1976
5. क्र. 3-4/77/3/1
   दिनांक 3-6-1977
6. क्र. 3-63/77/3/1
   दि. 4-7-1977
7. क्र. 3-16/77/3/1
   दि.26-12-1977
8. क्र. 139/1493/1/3/79
   दिनांक21 -3-1980
9. क्रमांक 3-2/80/3/1
   दिनांक 22-8-1980
10. क्रमांक 3-2/80/3/1
    दिनांक 10-6-1981
11. क्र. 531/990/1/3/82
    दिनांक 20-8-1982.
12. क्रमांक 101/841/1/3/82
    दिनांक 8-2-1983
13. क्र0 सी-3-6/84/3/1
    दिनांक 25-3-1984.
14. क्रमांक सी-3-5/[illegible]/3/1
    दिनांक 21-5-1985
15. क्रमांक 1063/88/1/4
    दिनांक 14-3-1988
16. क्रमांक एम 21-2/88/1/4
    दिनांक 2 -11-1988
17. क्रमांक एम 21-1/89/1/4
    दिनांक 13-1-1989
18. क्र. एम 21-2/89/1/4
    दिनांक 28-6-1989
19. क्रमांक एम 21-3-89/1/4
    दिनांक 15-1-1990
20. क्रमांक सी-3-19/91/1/3
    दिनांक 11-10-1991
21. क्र0 सी-3-1-93/3/1
    दिनांक 11-1-1993
22. क्रमांक सी-3-1/93/3/1
    दिनांक 17-5-1993

----0 0----

10/6/94

कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध रखा जाये और अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की मानीटरिंग कलेक्टर कार्यालय से की जाये । मृतक कर्मचारी से संबंधित विभाग में उपलब्ध नहीं होने पर उसी पद पर या उसके समकक्ष पद पर जिस पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आवेदक को आती हो। आवेदकों की अनुकम्पा नियुक्ति दूसरे विभाग में किये जाने के लिये प्रकरण संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी की ओर तुरन्त आगामी कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर द्वारा अग्रेषित किये जायेंगे।

हस्ता/-
एस0सी0 पाण्डया।
उप-सचिव
म0प्र0 शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-अराजप0 म0प्र0, भोपाल

पृ0क्र0/स्था0/क्र0/920 भोपाल/दिनांक 30/1/95

प्रतिलिपिः- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

2- समस्त मुख्य वन संरक्षक

3- समस्त वन संरक्षक

4- संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर

5- प्राचार्य रेंजर कालेज बालाघाट

6- प्रभारी स्था0 क्र0-2/3/4/8/ई कार्यालय मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-अराजप0 म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नि0 मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-अराजप0
म0प्र0, भोपाल

[illegible]//30195//